# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1263/2024**

दिलीप कुमार दोसी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बांसवाडा (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.03.2024

**आदेश की दिनांक** : 28.03.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडलीपाडा अरथूना, जिला बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी को नियम 2011 के अंतर्गत वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरपुरा आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8121/2022 आशा जोशी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.06.2022 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया और आदेश दिनांक 18.09.2023 के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को अभ्यावेदन देने हेतु निर्देशित किया गया और उसे 6 सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अभ्यावेदन पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। परंतु अपीलार्थी को रिपोर्ट नहीं दी गई और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.02.2024 की पालना में कार्यमुक्त करने जा रहे हैं, जो राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 24.05.2022 के क्रम में आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडलीपाडा अरथूना, जिला बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी को नियम 2011 के अंतर्गत वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरपुरा आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा पदस्थापित किया गया। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम

प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**